[श्री राम विलास पासवान]

को दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । (i) से (iii) के लिए देखिए सं. एल. टी. 1426/90]

III. (i) शिक्षुता नियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अधीन शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1988 को प्रकाशित करने वाली, श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 827, दिनांक 4 नवम्बर, 1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए सं. एल. टी. 1391/90]

(ii) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उप-धारा (4) के अधीन चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 249, दिनांक 21 अप्रैल, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1388/90]

(iii) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली, श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 250, दिनांक 21 अप्रैल, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1387/90]

(iv) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 251 दिनांक 21 अप्रैल, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1390/90]

(v) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 282 दिनांक 5 मई, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1389/90]

Notification of the Ministry of Textiles

SHRI JAGDEEP DHANKHAR : Madam, On behalf of SHRI SHARAD YADAV : I lay on the Table :—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Textiles Notification S.O. No. 672(E), dated the 31st August, 1990, publishing that the commodities specified in column (2) of the Schedule annexed thereto shall be packed in jute packaging material for supply or distribution in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Schedule w.e.f. 1st September, 1990, in supersession of S.O. 630(E), dated the 30th June, 1988, under sub-section (2) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act 1987.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Textiles Notification S.O. No. 673(E), dated the 31st August, 1990, exempting certain cement plants from the operation of the order made under section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987, under sub-section (2) of section 16 of the said Act.

[Placed in Library. *See* No. LT-1428/90 for I & II].

Notifications of the Ministry of Commerce

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN) : Madam, I lay on the Table a copy each

(in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Commerce : —

1. S. O. No. 650(E) dated the 23rd August, 1990 making amendment in the Import Control Order No. 1/90-93 dated the 30th March, 1990 published under the Notification S.O. No. 280(E) dated the 30th March, 1990.

2. S.O. No. 651(E) dated the 23rd August, 1990 publishing the Imports (Control) (6th Amendment) Order, 1990.

3. S.O. No. 663(E) dated the 28th August, 1990 making amendment in the Import Control Order No. 1/90-93 dated the 30th March, 1990 published under the Notification S.O. No. 280(E) dated the 30th March, 1990.

4. S.O. No. 664(E) dated the 28th August, 1990 making amendment in the Import Control Order No. 2/90-93 dated the 30th March, 1990 published under the Notification S.O. No. 281(E) dated the 30th March 1990.

5. S.O. No. 665(E) dated the 28th August, 1990 making amendment in the Import Control Order No. 10/90-93 dated the 30th March, 1990 published under the Notification S.O. No. 289(E) dated the 30th March, 1990.

[Placed in Library. *See* No. LT/1501/90 for 1 to 5.]

I. Accounts (1988-89) of the University Grants Commission, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1988-89) of the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi and related papers.

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नितिश कुमार) : महोदया, मैं श्री चिमनभाई मेहता की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) (क) 1988-89 के वर्ष के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । (क) और (ख) के लिए देखिए सं. एल. टी. 1416/90]

(ii) (क) 1988-89 के वर्ष के लिए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लायब्रेरी, नई दिल्ली का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) म्यूजियम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । (क) से (ग) के लिए देखिए सं. एल. टी. 1415/90]

I. Report and Accounts (1987-88) of the Rajasthan State Dairy Development Corporation Limited, Jaipur and related papers.

II. Report and Accounts (1987-88) of the Tamil Nadu Agro Industries Corporation Limited, Madras and related papers.

श्री नितिश कुमार : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

(i) (क) 1987-88 के वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।